झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) संख्या 2363 वर्ष 2020

बुलेवर्ड एंटरप्राइजेज अपने साझेदार अर्थात् संदीप मुरारका के माध्यम से

.....याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखंड राज्य

2. उपायुक्त–सह–जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी सिंहभूम

.... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश शंकर

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री नवीन कुमार, अधिवक्ता

सुश्री स्वेता कुमारी, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए: श्री अभिजीत कुमार, जी0ए0–III के ए0सी0

04/05.01.2021 वर्तमान रिट याचिका आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली गई है।

वर्तमान रिट याचिका, लोकसभा आम चुनाव, 2019 के दौरान स्टेशनरी/प्रिंटिंग सामग्री की आपूर्ति के लिए याचिकाकर्त्ता के फर्म को उपयुक्त ब्याज के साथ बिल की स्वीकार की गई राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदाता संख्या 2–उपायुक्त–सह–जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, पर निर्देश जारी करने के लिए

दायर किया गया है क्योंकि याचिकाकर्त्ता को उसी के लिए केवल आंशिक भुगतान किया गया है।

याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि प्रतिवादी सं0 2 के हस्ताक्षर के तहत जारी ज्ञापन सं0 140/जमशेदपुर दिनांक 08.02.2019 (वर्तमान रिट याचिका के अनुलग्नक–1) में निहित एक ''बहुत ही संक्षिप्त निविदा सूचना'' के अनुसरण में, याचिकाकर्त्ता ने उसी में भाग लिया और उक्त निविदा में सफल घोषित होने के बाद, उसे पूर्वी सिंहभूम जिले में स्टेशनरी/मुद्रण सामग्री की आपूर्ति के लिए काम दिया गया। याचिकाकर्त्ता ने रिट याचिका में कहा है कि निविदा सूचना की आवश्यकता के अनुसार उक्त सामग्रियों की आपूर्ति करने के बाद, इसने 1,27,41,605/– रू0 का बिल प्रस्तुत किया, जिसमें से उत्तरदाताओं ने भुगतान की सीमा 1,14,47,277/– रू0 तक स्वीकार किया। हालांकि उक्त राशि में से, उसी का 30% यानी 34,34,183/– रू0 प्रतिवादी संख्या 2 के आदेश के अनुसार अवैध रूप से काटा गया है, जैसा कि उप चुनाव अधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा 01.08.2019 को हस्ताक्षरित बिलों के निष्कर्ष से स्पष्ट होगा (जिसकी एक प्रति याचिकाकर्त्ता को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दायर अपने आवेदन पर प्रस्तुत की गई थी) और अंतिम देय राशि 7,95,775/– रू0 तक आ गई।

उत्तरदाताओं की उक्त कार्यवाही से दुखी होकर याचिकाकर्त्ता ने प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष कई अभ्यावेदन दिये (जिसकी प्रतियां वर्तमान रिट याचिका में अनुलग्नक–9 श्रृंखला के रूप में संलग्न की गई हैं)। हालांकि याचिकाकर्त्ता के अनुसार,

प्रतिवादी संख्या 2 ने 30% कटौती बिल राशि जारी करने के लिए याचिकाकर्त्ता के दावे पर कोई निर्णय नहीं लिया है।

उत्तरदाताओं की ओर से पेश जी0ए0– III के ए0सी0 श्री अभिजीत कुमार ने कहा कि चूंकि वर्तमान मामले को तथ्यात्मक रूप से सत्यापित करने की आवश्यकता है, यदि याचिकाकर्त्ता प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष एक नया अभ्यावेदन देता है, तो उक्त प्रतिवादी द्वारा एक उचित सूचित निर्णय लिया जाएगा।

पार्टियों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुनने और वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्त्ता द्वारा की गई प्रार्थना की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, मामले की योग्यता में प्रवेश किए बिना, याचिकाकर्त्ता को प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष एक नए अभ्यावेदन देने की स्वतंत्रता दी जाती है। उक्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होने पर, याचिकाकर्त्ता के प्रतिनिधि को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, प्रतिवादी संख्या 2, उक्त अभ्यावेदन के दाखिल होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर उचित सूचित निर्णय लेगा।

रिट याचिका को पूर्वोक्त स्वतंत्रता और निर्देश के साथ निपटाया जाता है।

(राजेश शंकर, न्याया0)